साइबर हैरेसमेंट के खिलाफ राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत

गाइडेंस और रिसोर्स प्रदान करेगी व्हाट नॉउ

संध्या ज्योति संवाददाता

जयपुर, 20 जनवरी। राजस्थान में अपनी तरह की पहली इनीशिएटिव के तहत साइबर हैरेसमेंट के खिलाफ बुलंद रहने वाली एक युवा आवाज- व्हाट नॉउ ने ऐलान किया कि उन्होंने राजस्थान में, हर कीमती जिंदगी को साइबर बुलिंग के खतरे से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए साइबर हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग के खिलाफ एक राज्यव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। डिजिटल युग के आगे बढ़ने के साथ-साथ, टेक्नोलॉजी ने लोगों के कनेक्ट होने, संवाद करने और जानकारी शेयर करने के तरीके में आमूलचूल बदलाव कर दिया है। हालांकि, इस तकनीकी धूमधड़ाके ने साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम और साइबर हैरेसमेंट जैसी नई चुनौतियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं, जो भारत समेत पूरी दुनिया में गंभीर सामाजिक मुद्दे बनकर तेजी से उभर रही हैं। ये समस्याएं भारत जैसे देश में खास तौर पर गंभीर हो जाती हैं, जहां इंटरनेट का उपयोग तो तेजी से बढ़ा है, लेकिन रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क और जागरूकता इन ऑनलाइन मुसीबतों के चलते पैदा होने वाले खतरों के मुकाबले पिछड़ी हुई है। यह ग्राउंडब्रेकिंग कैम्पेन, ऑनलाइन एब्यूज के लगातार फैलते जा रहे डर को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, साथ ही अपने नए खुले हेल्पलाइन नंबर +91 9019115115 के जरिए, तत्काल और भरोसेमंद सहायता प्रदान करेगा। यह हेल्पलाइन नंबर पीड़ितों के लिए आशा की किरण बनकर काम करेगा। यह राजस्थान के नागरिकों को साइबर एब्यूज के साथ कारगर ढंग से निपटने का मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करेगी, तथा सही समय पर बीच-बचाव भी करेगा। आज युवाओं के द्वारा झेली जा रही साइबर-बुलिंग/ हैरेसमेंट की समस्याओं को चर्चा करते हुए, 'व्हाट नॉउ' की फाउंडर और फिलांथ्रोपिस्ट नीति गोयल ने कहा, हमारा मिशन है कि एक सुरक्षित और सहयोगी ऑनलाइन यूथ कम्युनिटी तैयार की जाए, जहां वे साइबर बुलिंग और साइबर हैरेसमेंट से डरे बिना आपस में बातचीत कर सकें। हम साइबर हैरेसमेंट के खिलाफ, जागरूकता कार्य में के माध्यम से यूथ फोरम बनाएंगे और इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। इस मौके पर व्हाट नॉउ के को-फाउंडर और एयू कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज (एयूसीएल) के फाउंडर अक्षत खेतान ने बताया कि भारत डिजिटल रूप से ताकतवर सोसाइटी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए साइबरबुलिंग, साइबर क्राइम और साइबर हैरेसमेंट से पैदा होने वाले रिस्क को हल्केफुल्के नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इन मुद्दों पर नीति निर्माताओं, शिक्षकों, लॉ इंफोर्समेंट और आम जनता को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। एक व्यापक कानूनी ढांचा बनाकर, जागरूकता बढ़ाकर और लॉ इंफोर्समेंट को मजबूत करके, भारत इन ऑनलाइन खतरों के हानिकारक प्रभावों को कम करना शुरू कर सकता है। व्हाट नॉउ के ब्रांड एंबेसडर ताहा शाह बादुशा ने कहा, साइबरबुलिंग और साइबर हैरेसमेंट से निपटने वाली व्हाट नॉउ की इस ग्राउंडब्रेकिंग इनीशिएटिव का हिस्सा बनने पर मुझे गर्व है। इसके अलावा, कानूनी सहायता व मदद के लिए, व्हाट नॉउ और एयूसीएल दोनों ही पीड़ितों को चंगा करने वाले यूथ मेंटर मुहैया कराएंगे, साइबर क्राइम पुलिस टीम के साथ उनका सहयोग करेंगे, लीगल गाइडेंस और सपोर्ट प्रदान करेंगे, तथा पूरे भारत के कॉलेज व यूनिवर्सिटीज में व्यापक आउटरीच अवेयरनेस प्रोग्राम एवं सोशल कैम्पेन चलाएंगे।